मौलिक अधिकारों की आवश्यकता और महत्व (Necessity and importance of Fundamental Rights)

व्यक्ति और राज्य के आपसी सम्बन्धों की समस्या सदैव से ही बहुत अधिक जटिल रही है और वर्तमान समय की प्रजातन्त्रीय व्यवस्था में इस समस्या ने विशेष महत्व प्राप्त कर लिया है। यदि एक ओर शान्ति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए नागरिकों के जीवन पर राज्य का नियन्त्रण आवश्यक है तो दूसरी ओर राज्य की शक्ति पर भी कुछ ऐसी सीमाएं लगा देना आवश्यक है जिससे राज्य मनमाने तरीके से आचरण करते हुए व्यक्तियों की स्वतन्त्रता और अधिकारों के विरुद्ध कार्य न कर सकें। मौलिक अधिकार व्यक्ति स्वतन्त्रता और अधिकारों के हित में राज्य की शक्ति पर प्रतिबन्ध लगाने के श्रेष्ठ उपाय हैं।

मौलिक अधिकार प्रजातंत्र के आधार स्तम्भ है। वे उन परिस्थितियों का निर्माण करते हैं जिनके आधार पर बहुमत की इच्छा निर्मित और क्रियान्वित होती है। वे इस दृष्टि से भी प्रजातन्त्र के लिए अनिवार्य हैं कि इनके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास की सुरक्षा प्रदान की जाती है और उन आधारभूत स्वतन्त्रताओं तथा स्थितियों की व्यवस्था की जाती है जिनके बिना उचित रूप से नागरिक जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार एक देश के राजनीतिक जीवन में एक दल विशेष की तानाशाही स्थापित होने से रोकने के लिए नितान्त आवश्यक है। इसमें सन्देह नहीं कि वर्तमान समय में निरंकुश राजाओं के व्यक्तिगत शासन का भय समाप्त हो गया है, लेकिन प्रजातन्त्रात्मक राज्यों में 'बहुमत तानाशाही' का भय बराबर बना हुआ है। मौलिक अधिकार शासकीय और बहुमत वर्ग के अत्याचारों से व्यक्ति की, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों की, रक्षा करते हैं और इस प्रकार बहुमत के अत्याचारी शासन की आशंका का अन्त करते हैं। ये अधिकार व्यक्ति स्वातन्त्र्य और सामाजिक नियन्त्रण के बीच उचित सामंजस्य की स्थापना करते हैं। इनके द्वारा एक ओर तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को कानून द्वारा निश्चित सीमाओं में रहने के लिए बाध्य किया जाता है और दूसरी तरफ नागरिकों को शासन के स्वेच्छाचारी संचालन के विरुद्ध जनमत के निर्माण हेतु उचित अवसर प्रदान किए जाते हैं। मौलिक

Scanned with CamScanner

पुनः जब मौलिक अधिकारों को वैधानिक रूप से स्थिर कर दिया जाता है तो उनके महत्व और सम्मान में अधिक वृद्धि हो जाती है इससे उन्हें साधारण कानून से अधिक उच्च स्थान और पवित्रता प्राप्त हो जाती है। इससे वे अनुल्लंघनीय बन जाते हैं और विधायी, कार्यपालिका व न्यायिक सत्ता के लिए उनका पालन आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार मौलिक अधिकार नागरिकों को न्याय और उचित व्यवहार की सुरक्षा प्रदान करते हैं और राज्य के बढ़ते हुए हस्तक्षेप तथा व्यक्ति की स्वतन्त्रता के बीच सन्तुलन स्थापित करते हैं। निष्कर्षतः, नागरिकों के मौलिक अधिकार मानवीय स्वतन्त्रता के मापदण्ड और संरक्षक दोनों ही हैं।

भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लेख की आवश्यकता -

ब्रिटेन और स्विट्जरलैण्ड, आदि देशों में वैधानिक परम्पराओं और राजनीतिक जागरूकता का उच्च स्तर है और इस कारण संविधान में किसी प्रकार के अधिकारों का उल्लेख न होने पर भी नागरिकों द्वारा लगभग सभी नागरिक स्वतन्त्रताओं और अधिकारों का उपभोग किया जाता है, किन्तु भारत में इन दोनों ही बातों का अभाव होने के कारण संविधान में अधिकारों के उल्लेख के बिना व्यवहार में अधिकारों के उपभोग की आशा नहीं की जा सकती है।

इस सम्बन्ध में डॉ. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में कहा था, "भारत में इन अधिकारों को विधानमण्डलों या सरकार की इच्छा पर छोड़ देना उचित नहीं है क्योंकि भारत में लोकतन्त्र अब तक पूर्ण रूप से पनप नहीं पाया है, इसलिए इन अधिकारों को संविधान में रख दिया गया।

Avinash